

फर्द अहककाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

श्री मुकेश कुमार पिता जगदीशचन्द्र सोमानी निवासी भीलवाडा	बनाम	श्री भगवतगिरी पुत्र दोला गुसाई निवासी रूपाहेली वगै0
---	------	--

धारा 111-128 एल0आर0एक्ट

मुकदमा 252 / 2022

26.05.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर-252/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

श्री मुकेश कुमार पिता जगदीशचन्द्र सोमानी जाति महाजन, निवासी 10 सी 15
आर0सी0व्यास कालोनी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।

— प्रार्थी

बनाम

श्री भगवत गिरी पुत्र दोला गुसाई निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा।
श्रीमति केली पत्नि मथुरा लाल जाट निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा।
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

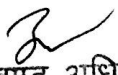
—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय

दिनांक 26.05.2022

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0
अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रूपाहेली प0ह0 रूपाहेली
भू0अ0नि0 दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 681/1 रकबा
0.0632 हैक्टेयर आ0नं0 682/1 रकबा 0.4110 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 681/2
रकबा 0.0632, आ0नं0 682/2 रकबा 0.4110 कुल किता 04 कुल रकबा 0.9484
हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण
पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से
आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि
भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश
प्रदान कराया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की
बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। जमाबन्दी
सम्वत् 2076 से 2079 ग्राम रूपाहेली प0ह0 रूपाहेली भू0अ0नि0 दांथल तहसील व जिला
भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 681/1 रकबा 0.0632 हैक्टेयर आ0नं0 682/1 रकबा
0.4110 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 681/2 रकबा 0.0632, आ0नं0 682/2 रकबा
0.4110 कुल किता 04 कुल रकबा 0.9484 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कराने के
अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व
अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः
नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएवं


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

आराजियात की पत्थर गढी

// आदेश //

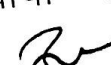
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 196 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपाहेली प0ह0 रूपाहेली भू0अ0नि0 दांथल सील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 681/1 रकबा 0.0632 हैक्टेयर 0नं0 682/1 रकबा 0.4110 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 681/2 रकबा 0.0632, 0नं0 682/2 रकबा 0.4110 कुल किता 04 कुल रकबा 0.9484 हैक्टेयर भूमि सीमा नकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी ङ्क 200/-रूपये तहसीलदार भीलवाड़ा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थी जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक दांथल 500/-रूपये (पांच सौ रूपये) मिशनर फीस पर कमिशनर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर विपक्षीगण को विधिवत घना देकर उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिशनर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावे। कमिशनर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर न्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन है एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 दांथल जो कि उक्त प्रकरण में कमिशनर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय निम्नलिखित प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाड़ा को पालना हेतु लेखा जावे।


(ओम प्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा